संख्या-209/2026/222 के-2/22-3-2025-17(384)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगली केवट पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगली केवट पुत्र श्री सीताराम, जो ग्राम-विजवाहा, थाना-कुठौन्द, जनपद-जालौन का निवासी है। अभियुक्त फरारी डकैत मंगली दिनांक 27.09.2004 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शाम छः बजे बन्दूकों से लैस होकर सेवाराम को पकड़कर पुराने मकान के सहिन के तरफ ले गया तथा फायर करके हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-218/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 120बी में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया के आदेश दिनांक 15.10.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) सत्र परीक्षण सं0-46/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 न्यायालय स्पेशल जज, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 22.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (3) सत्र परीक्षण सं0-160/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उरई जालौन के आदेश दिनांक 29.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (4) सत्र परीक्षण सं0-63ए/06 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-368 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-10 के आदेश दिनांक 10.07.2012 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया एवं (5) जी0एस0टी0 सं0-51/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 व 12/14 द0प्र0क्षे0 व 3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे-03/स्पेशल जज गैगेस्टर एक्ट, जालौन के आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (1) प्रथम केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.10.2024 तक 18 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। (2) द्वितीय केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.07.2022 तक 16 वर्ष 07 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं (3) तृतीय केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.01.2025 तक 18 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा दिनांक 21.01.2025 तक बंदी की आयु 52 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी अपराध करने में सक्षम होने, आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए पुनः अपराध करने की प्रबल संभावना होने, अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त फरारी डकैत मंगली दिनांक 27.09.2004 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शाम छः बजे बन्दूकों से लैस होकर सेवाराम को पकड़कर पुराने मकान के सहिन के तरफ ले गया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा फायर करके हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मंगली केवट पुत्र श्री सीताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगली केवट (बंदी संख्या-124/22) पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-209/2026/222 के-2/22-3-2025-17(384)/2025

दिनांक 22 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मंगली केवट पुत्र श्री सीताराम, जो ग्राम-विजवाहा, थाना-कुठौन्द, जनपद-जालौन का निवासी है। अभियुक्त फरारी डकैत मंगली दिनांक 27.09.2004 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शाम छः बजे बन्दूकों से लैस होकर सेवाराम को पकड़कर पुराने मकान के सहिन के तरफ ले गया तथा फायर करके हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण सं0-218/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 120बी में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया के आदेश दिनांक 15.10.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (2) सत्र परीक्षण सं0-46/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 न्यायालय स्पेशल जज, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 22.11.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (3) सत्र परीक्षण सं0-160/2005 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उरई जालौन के आदेश दिनांक 29.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, (4) सत्र परीक्षण सं0-63ए/06 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-368 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-10 के आदेश दिनांक 10.07.2012 द्वारा 07 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया एवं (5) जी0एस0टी0 सं0-51/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 व 12/14 द0प्र0क्षे0 व 3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे-03/स्पेशल जज गैगेस्टर एक्ट, जालौन के आदेश दिनांक 08.01.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। (1) प्रथम केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.10.2024 तक 18 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। (2) द्वितीय केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.07.2022 तक 16 वर्ष 07 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं (3) तृतीय केस में बन्दी द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.01.2025 तक 18 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा दिनांक 21.01.2025 तक बंदी की आयु 52 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी अपराध करने में सक्षम होने, आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए पुनः अपराध करने की प्रबल संभावना होने, अपराध किये जाने से इंकार नहीं किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त फरारी डकैत मंगली दिनांक 27.09.2004 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शाम छः बजे बन्दूकों से लैस होकर सेवाराम को पकड़कर पुराने मकान के सहिन के तरफ ले गया तथा फायर करके हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मंगली केवट पुत्र श्री सीताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in